न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 5/14दायरा दिनांक 23.05.2014
आर.सी.एम.एस. 2016/00019

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. राधाकिशन पुत्र कालू जाति मीणा निवासी छीनोद तहसील किशनगंज जिला बारां– **प्रार्थी**

बनाम

1. श्रीमति ब्रम्हाबाई पत्नि राधाकिशन जाति मीणा निवासी छीनोद तहसील किशनगंज जिला बारां
2. बनवारी पुत्र राधाकिशन जाति मीणा निवासी छीनोद तहसील किशनगंज जिला बारां
3. लीलाबाई पुत्री राधाकिशन जाति मीणा निवासी छीनोद तहसील किशनगंज जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां – **अप्रार्थीगण**

उपस्थित :–

1. **अभिभाषक प्रार्थी – श्री एम.आई. खान।**
2. **अभिभाषक अप्रार्थी– श्री सतीश शर्मा।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970

निर्णय **दिनांक 30.08.2019**

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई। भू आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम छीगोदपार तहसील किशनगंज द्वारा दिनांक 07.11.1882 को ग्राम दीगोद की आराजी ख.नं. 493 रकबा 5 बीघा अप्रार्थीक्रम 1 ता 3 के पति एवं पिता कृषि भूमि का आवंटन किया गया है उक्त आदेश अप्रसन्नता से उरोक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने वास्ते प्रस्तुत है। यह कि भू आवंटन सलाहकार समिति ग्राम दीगोदपार का आदेश भू आवंटन नियमों के विपरीत है तथा विधि एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन दिनांक 07.11.1982 को ख.नं. 493 रकबा 5 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा निरन्तर गत 30 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है। इस कारण भूमि खाली नहीं होने से अनओक्यूपाइट लेण्ड होने से अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पति एव पिता के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जाने योग्य है। प्रार्थी के कब्जे की भूमि पर कब्जा कर लिया या अप्रार्थीगण प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने के लिए यदि कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी ने उक्त भूमि को बंजड अवस्था से ठीक करके पेड़ पौधे काटकर बडी मेहनत से फाड़तोड़ करके समतल बनाया है जिसमें प्रार्थी का खर्चा करीब 2–3 लाख रूपये लग चुके हैं। यदि उक्त भूमि प्रार्थी के हाथ से निकल जाती है तो प्रार्थी को आर्थिक नुकसान होगा जिसकी भरपायी मुद्रा में नहीं की जा सकती है। उक्त भूमि पर प्रार्थी वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 05.06.1989 को प्रार्थी के हक में ख.नं. 493 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि को परामर्शदात्री शिविर द्वारा प्रार्थी के पक्ष में आवंटन कर प्रार्थी को उक्त भूमि पर दखल दिनांक 23.06.1989 को दे दिया है तब से लेकर आज तक प्रार्थी उक्त भूमि पर निर्बाद रूप से खेती बाडी करता चला आ रहा है। लेकिन उक्त परामर्शदात्री समिति द्वारा किये गये आवंटन का तहसीलदार किशनगंज द्वारा आज तक अमल बरामद नहीं किया गया है। जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया आवंटन का अधिकार एवं खातेदारी प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी एवं नालिशी है। उक्त खसरा नम्बर में रकबा कम होने के कारण एवं पूर्व अप्रार्थीगण के पति एवं पिता के एलोट होने के कारण प्रार्थी का खाता आज तक नहीं खुल पाया है। इस कारण भी प्रार्थी उक्त आवंटन को निरस्त करवाने का हकदार है। प्रार्थी को उपरोक्त आराजी के आवंटन को निरस्त करवाये जाने का अधिकार प्राप्त है क्योंकि प्रार्थी उक्त भूमि पर वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार किशनगंज में भी दिनांक 05.06.1989 को प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर प्रार्थी के विरूद्व 91 के तहत जुर्माना किया गया है। आवंटन के वक्त उक्त भूमि खाली नहीं थी। इस कारण भी उक्त आवंटन अप्रार्थीगणों के पिता एवं पति के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पिता एवं पति के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त फरमाये जाकर प्रार्थी के हक में किया गया आवंटन बहाल रखा जावेतथा प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया जावे। प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी दिनांक 02.05.2014 को पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर हुई प्रार्थी ने दिनांक 05.05.2014 को नकल लेकर उक्त प्रार्थना पत्र की तैयारी कर अपील पेश की है। विलम्ब को माफ कराने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.05.2014 को तत्पश्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मेंअंकित तथ्यों को दौहराते हुये कहा कि दिनांक 19.06.1982 को ग्राम छीनोद खसरा नम्बर 493 की 5 बीघा अप्रार्थीगणाके पति व पिता के नाम आवंटन हुई। पति का नाम राधाकिशन आवंटन के समय कब्जा अपीलान्ट का था। दिनांक 05.06.1989 को इसी जमीन में अपीलान्ट के नाम भी आवंटन खसरा नम्बर 493 की 6 बीघा भूमि दखल अपीलान्ट को 23.06.1989 आवंटन का अमल नहीं हुआ क्योंकि रकबा खाली नहीं है अपीलान्ट का कब्जा बरकरार। तहसीलदार की मौके कमिश्नर की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। आवंटन के समय भी भूमि खाली नहीं आज भी अपीलान्ट काबिज है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्टने बहस में कथन किया कि 30 वर्ष पश्चात् अपील की मियाद बाहर है। ब्रम्हाबाई को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं खातेदारी के बाद आवंटन निरस्त नहीं हो सकते, 14(4) से नहीं। आर.आर.डी. 2001 पेज नम्बर 125/377, आर.आर.डी 2006 पेज नम्बर 9, आर.आर.डी. 2009 पेज नम्बर 177, डी.एन.जे. 1995 द्वितीय पार्ट पेज नम्बर 592, ए.आई.आर. 1994 *प्रप्रीक कोर्ट* 1128 अतिक्रमण के आधार पर किसी कि खातेदारी को निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता, आर.बी.जे. 2010 पेज नम्बर 608, मौका रिपोर्ट आर.आर.डी. 2012 पेज नम्बर 6, कोर्ट एवीडेन्स कलेक्ट करने के नहीं, पार्टी को साबित करना है। आवंटन हो गया व अमल दरामद नहीं हुआ है तो सरकार से मांगे रेस्पोडेण्ट गरीब है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कहा कि दिनांक 05.06.1989 के बाद भी तहसीलदार ने अतिक्रमी मानकर नोटिस दिया।खातेदारी अधिकार गलत दिया, दखल नहीं दिया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट में लिखा है कि खातेदारी गलत दी गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली में शामिल दस्तावेजात व प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन उपरान्त यह पाया गया कि अप्रार्थीगण को खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। आवंटन के सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे आवंटन में कोई अनियमितता हो या विधी विरूद्ध हो। खातेदारी प्राप्त हो जाने के पश्चात् आवंटन निरस्त किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णय में फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 12:13:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: